

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प01/11/34 दिनांक :- 13/04/2011

—: आदेश :—

निर्देशानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से वर्ष 2011 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 12 दिनांक 14.03.11 के द्वारा चिकित्सकों को नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन किया गया। नियुक्ति कि शर्तों के अनुसार आदेश जारी होने कि दिनांक से एक माह के भीतर-2 नव नियुक्ति पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है। निम्नलिखित चिकित्सकों ने उनके नाम के सामने अंकित कारणों से कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि हेतु निवेदन किया है को उनके नाम के सामने अंकित दिनांक तक एतद्वारा अभिवृद्धि प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	मेरिट संख्या	पदस्थापन स्थान	अभिवृद्धि का कारण	कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि की दिनांक
1.	डा० लक्ष्मीकांत गोयल	52	प्रा०स्वा०केन्द्र खुहडी (जैसलमेर)	पीजी करने के कारण	06/06/11
2.	डा० दौलत मीणा	200	प्रा०स्वा०केन्द्र कायसा (अलवर)	पीजी करने के कारण	30/05/11
3.	डा० राकेश कुमार करनानी	209	प्रा०स्वा०केन्द्र भटावली (भरतपुर)	पीजी करने के कारण	09/06/11
4.	डा० विवेकाशु वर्मा	231	प्रा०स्वा०केन्द्र सराधना (अजमेर)	पीजी करने के कारण	10/06/11

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त जारी किये जाते हैं।

६०
निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है:-

1. निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, (ग्रुप-2) राजस्थान जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी, संबंधित।
6. संबंधित चिकित्सक को घर के पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करें।
8. निजि/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।